

13034/20(1)/2018-रा.भा.(प्रशा.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग


एनडीसीसी-॥ भवन, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-1

दिनांक: 17.02.2022

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग के दिनांक 24.11.2020 के सम संख्यक कार्यालय आदेश के अधिक्रमण में, विभाग में पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की गयी शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत समिति का पुनर्गठन तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

- | | |
|--|-------------------|
| i) श्रीमती मंजुला सक्सेना, निदेशक | - पीठासीन अधिकारी |
| ii) श्री इरफान अहमद खान, सहायक निदेशक | - सदस्य |
| iii) श्री प्रदीप सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी | - सदस्य |
| iv) श्रीमती साधना शर्मा, अनुभाग अधिकारी | - सदस्या |
| iv) सुश्री कुलजीत कौर | - एनजीओ सदस्या |
2. यह समिति संबन्धित अधिनियम के प्रावधानों एवं इस विषय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।
3. उपर्युक्त समिति के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष होगा।
4. राजभाषा विभाग की पीड़ित महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के बारे में कोई भी शिकायत सीधे समिति की पीठासीन अधिकारी को भेजी जा सकती है।


(सरोज मेरी खल्वी)
अवर सचिव(प्रशासन)

सेवा में

1. सभी संबन्धित अधिकारीगण।
2. सुश्री कुलजीत कौर, बी 406, यूनेस्को अपार्टमेंट, 55, पटपड़गंज, आई.पी.विस्तार, नई दिल्ली-92
(ईमेल kuljitjolly@gmail.com)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

- 1 सचिव(रा.भा.) के व.प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव(रा.भा.) के प्रधान निजी सचिव
3. एनआईसी सेल (रा.भा.) विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. निदेशक (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो)
5. निदेशक (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान)
6. सचिव (संसदीय राजभाषा समिति)
7. अवर सचिव, प्रशासन -V अनुभाग, गृह मंत्रालय, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, WW प्रभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1